

पत्र सं०-4/स्था०-01-09/2018 ज०स० :- 4857

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग ।
आदेश

राँची/दिनांक- 14/09/22

राजस्व, निबन्धन एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 1745/रा० दिनांक 24.04.2018 द्वारा झारखण्ड लेखा लिपिक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली 2018 का गठन किया गया है। उक्त के आलोक में सभी मुख्य अभियंता एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग के कर्मियों की औपबधिक वरीयता सूची विभागीय आदेश ज्ञापांक 522 (अनु०) दिनांक 29.01.2021 द्वारा निर्गत करते हुए दावों/आपत्तियों की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में विभिन्न मुख्य अभियंता एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त आपत्तियों समीक्षा एवं निराकरण के पश्चात् संलग्न सूची के अनुसार अंतिम वरीयता निर्धारित की जाती है।

2. यह अंतिम वरीयता सूची 2022 (लेखा लिपिकीय संवर्ग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची) कहा जायेगा।

3. वरीयता सूची प्रकाशन के प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

4. इस अंतिम वरीयता सूची को सभी लेखा लिपिक को उपलब्ध कराना संबंधित मुख्य अभियंता का दायित्व होगा।

अनु० :- सूची संलग्न (पृ. 01-28)।

विश्वासभाजन,

(उपेन्द्र कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 4857

राँची, दिनांक :- 14/09/22

प्रतिलिपि- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु० :- सूची संलग्न (पृ. 01-28)।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 4857

राँची, दिनांक :- 14/09/22

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- सूची संलग्न (पृ. 01-28)।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 4857

राँची, दिनांक :- 14/09/22

प्रतिलिपि- वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- सूची संलग्न (पृ. 01-28)।

सरकार के अवर सचिव।